प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) 579/2018

* आलोक कुमार अखिलेश, पिता गोरेलाल अखिलेश, आयु 44 वर्ष, निवासी- खजांची रोड, जशपुरनगर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा- मुख्तारनामा धारक- श्री श्रुतिधर त्रिपाठी, निवासी- राजहंस ट्रेवल्स, बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, परिवहन विभाग, नया मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. राज्य परिवहन प्राधिकरण, इंद्रावती भवन, संचालनालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
3. शिव रतन प्रसाद गुप्ता, पिता- स्वर्गीय श्री बी. पी. गुप्ता, निवासी- शिव सदन, राम मंदिर के पास, अवध पुरी कॉलोनी, भाटागांव, रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) 812/2018

* मोहम्मद बैदुल, पिता स्वर्गीय रशीद, आयु 50 वर्ष, निवासी- खरसिया चौक, रिंग रोड, अंबिकापुर, द्वारा- मुख्तारनामा धारक- श्री श्रुतिधर त्रिपाठी, निवासी- राजहंस ट्रेवल्स, बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, परिवहन विभाग, नया मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. राज्य परिवहन प्राधिकरण, इंद्रावती भवन, संचालनालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
3. शिव रतन प्रसाद गुप्ता, पिता- स्वर्गीय श्री बी. पी. गुप्ता, निवासी- शिव सदन, राम मंदिर के पास, अवध पुरी कॉलोनी, भाटागांव, रायपुर, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एस. के. बाजपेयी, अधिवक्ता

उत्तरवादी-राज्य की ओर से : श्री समीर बेहार, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक- 3 की ओर से : श्री शिवेश सिंह एवं श्री ए.आर.श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

बोर्ड पर आदेश

28/08/2018

1. इस याचिका में निर्णय लेने के लिए उदभूत एक संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक -3 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (इसके बाद से अधिनियम, 1988) की धारा 70 के अनुसार अंबिकापुर से पुरी तक अंतर -राज्यीय मार्ग पर परमिट जारी करने के लिए अपने आवेदन में सभी आवश्यक विवरण प्रदान न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण द्वारा आवेदन पर विचार करना और परमिट जारी करना न्यायोचित था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. पक्षों के बीच स्वीकार किए गए निर्विवाद तथ्य यह हैं कि अंतरराज्यीय मार्ग अंबिकापुर से पुरी के लिए दो रिक्तियां प्रासंगिक तिथि को उपलब्ध थीं, जिसके लिए याचिकाकर्ता आलोक कुमार अखिलेश और मोहम्मद बैदुल ने दिनांक 31.08.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि उत्तरवादी क्रमांक -3 शिव रतन प्रसाद गुप्ता ने दिनांक 09.10.2017 को आवेदन किया। उत्तरवादी क्रमांक-3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 16.11.2017 को विचार किया गया और अंततः , दिनांक 19.01.2018 के आदेश के द्वारा उसके पक्ष में परमिट जारी किया गया।

3. यह भी विवादित नहीं है कि जिस दिन उत्तरवादी क्रमांक 3 ने आवेदन प्रस्तुत किया था, उस दिन उसका वाहन स्थायी रूप से पंजीकृत नहीं था, क्योंकि उस पर केवल अस्थायी पंजीकरण संख्या अंकित थी, जो चेसिस पर पूरी बॉडी को उठाए बिना ही उपलब्ध करा दी जाती है।

4. उपरोक्त तथ्यों में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेंद्र बाजपेयी ने तर्क दिया कि अपेक्षित विवरण, जो अधिनियम, 1988 की धारा 70 के तहत सांविधि के अनुसार आवश्यक रूप से बनाए जाने चाहिए, उत्तरवादी क्रमांक- 3 द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे, इसलिए, उनका आवेदन पूर्ण नहीं था क्योंकि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा गुणानुगुण पर विचार करने के लिए इसमें तात्विक विवरण की कमी

थी। श्री बाजपेयी ने **शैलेश विजयवर्गीय बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य {डब्ल्यूपी संख्या 7081/2014, निर्णीत दिनांक 09.10.2014}** के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय का संदर्भ दिया है ।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक- 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेश सिंह, ने **पदम चंद गुप्ता एवं अन्य बनाम राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य {डब्ल्यूपी संख्या 5125/2013, निर्णीत दिनांक 21.10.2013}** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ के निर्णय का संदर्भ लिया है ।

6. अधिनियम, 1988 की धारा 70 में प्रावधान है कि स्टेज गाड़ी या आरक्षित स्टेज गाड़ी के संबंध में परमिट के लिए आवेदन में , जहां तक संभव हो, निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात;-अर्थात् :-

(क) वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र या वे क्षेत्र जिससे या जिनसे वह आवेदन संबंधित है;

(ख) ऐसे प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह:

(ग) जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्ध कराना प्रस्थापित है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा सामान्य ट्रिपों की समय-सारणी ।

स्पष्टीकरण- इस धारा, धारा 72, धारा 80 और धारा 102 के प्रयोजनों के लिए "ट्रियों" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की एकल यात्रा अभिप्रेत है, और प्रत्येक वापसी यात्रा को एक पृथक् ट्रिप समझा जाएगा;

(घ) उन यानों की संख्या जिन्हें सेवा बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के वास्ते रिजर्व में रखने का इरादा है;

(ङ) वे इन्तजाम जिन्हें यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए तथा सामान के भंडारकरण तथा निरापद अभिरक्षा में रखने के लिए करने का इरादा है;

(च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं।

उपर्युक्त आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जो निर्धारित किए जाएं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 70 में निहित प्रावधान आवेदक के लिए अन्य बातों के साथ-साथ वाहन के प्रकार और बैठने की क्षमता तथा यात्रियों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आराम और सुविधा के लिए वाहन के आवास, रखरखाव और मरम्मत, सामान के भंडारण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों का उल्लेख करना अनिवार्य बनाते हैं। उत्तरवादी क्रमांक-3 का वाहन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर केवल एक चेसिस था; स्पष्टतः इसमें वाहन के प्रकार और बैठने की क्षमता तथा यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए वाहन के रख-रखाव, मरम्मत और सामान के भंडारण तथा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में विवरण नहीं था।

7. शैलेश विजयवर्गीय (पूर्वोक्त) के मामले में मप्र उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उक्त मामले में परमिट धारक आरक्षित वाहन की उपलब्धता से संबंधित उपनियम (72) (3) (सी) (डी) (ई) की अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और वैधानिक निर्धारित प्रपत्र के कॉलम क्रमांक 10 और 12 को खाली छोड़ दिया गया था और उसे भरा नहीं गया था। इस प्रकार , आवेदन क़ानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था और इन सभी कारकों की अनदेखी करते हुए परमिट को अनुमति दे दी गई। मूल अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात खंडपीठ ने पाया कि परमिट प्रदान करने के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन , परमिट प्रदान करने के लिए वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करता है तथा यह वैधानिक रूप से निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है तथा मोटर यान अधिनियम के नियम 72 के उपनियम (3) के अंतर्गत जो विभिन्न दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं, वे आवेदन के साथ नहीं भरे गए हैं। इसलिए, वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए वैधानिक परमिट देने में वैधानिक प्राधिकारियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान मामले में भी, प्रतिवादी संख्या-3, वाहन के प्रकार और बैठने की क्षमता तथा यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए वाहन के आवास , रखरखाव और मरम्मत, सामान के भंडारण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में विवरण देने की स्थिति में नहीं था , क्योंकि वाहन न तो स्थायी रूप से पंजीकृत था और न ही उसका बॉडी चेसिस पर रखा हुआ था। वाहन में बैठने की क्षमता और अन्य सुविधाओं का उल्लेख तभी किया जा सकता है जब पूरा वाहन बॉडी निर्माण के बाद तैयार हो जाए। ऐसे विवरणों के अभाव में या वाहन के सभी प्रकार से पूर्ण न होने के कारण, प्राधिकरण इस बात पर विचार करने की स्थिति में नहीं था कि वाहन अंबिकापुर से पुरी तक लंबी दूरी की यात्रा के लिए आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। सांविधि में विवरणों का उल्लेख औपचारिकता के लिए

नहीं, बल्कि यात्रियों को पर्याप्त आवश्यक सुविधा प्रदान करके इतनी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए वाहन की पात्रता और क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया है। अधिनियम, 1988 की धारा 70 के तहत आवश्यकता के पीछे निश्चित उद्देश्य है, इसलिए, आवेदन में दिए गए वैधानिक निर्धारित विवरणों के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आवेदन पर विचार सांविधि के अनुसार नहीं था। इसलिए, परिणामस्वरूप, उत्तरवादी क्रमांक- 3 को प्रदान किया गया परमिट अपास्त किये जाने योग्य है।

9. याचिकाकर्ताओं ने भी अपने पक्ष में परमिट जारी करने की प्रार्थना की है , तथापि, चूंकि प्राधिकारियों ने भी उनके आवेदन में खामियां पाई हैं , इसलिए प्रथम दृष्टया प्राधिकारी के रूप में इस न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करके निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि उत्तरवादी क्रमांक - 3 को जारी परमिट अभिखंडित किए जाने के कारण रिक्ति उत्पन्न हुई है,इसलिए याचिकाकर्ताओं और उत्तरवादी क्रमांक- 3 सहित सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए परमिट के लिए आवेदन करना खुला रहेगा, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

10. दोनों रिट याचिकाएं उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**